राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़

तृतीय तल,छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल व्यावसायिक परिसर, (दक्षिण पूर्व कॉर्नर)
सेक्टर–27, अटल नगर, पिन–492015 (छत्तीसगढ)
दूरभाष–0771–2511287, 2511288, ई–मेलः office.mdnrhm@gmail.com

क्रमांक / NHM / HR / 2022 / NS-29 / 1554 नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर दिनांक 14/07/2022

/ /आवश्यक सूचना एवं दिशा–निर्देश/ /

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ के तहत प्रदेश के विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई अंतर्गत स्टॉफ नर्स–NBSU के पदों पर भर्ती हेतु पात्र अभ्यर्थियों का दिनांक 29 एवं 30 जून, 2022 को दस्तावेज परीक्षण का आयोजन किया गया था।

उक्त दस्तावेज परीक्षण के उपरांत **स्टॉफ नर्स–NBSU** के कुछ अभ्यर्थियों एवं अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों द्वारा सूची में अपात्र होने एवं उनके अनुभव अंक आदि के संबंध में राज्य कार्यालय में दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। अभ्यर्थियों के द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं उनके प्रस्तुतीकरण (Presentation) के आधार पर दस्तावेजों का पुनः परीक्षण किया गया, जिसमें पात्र पाये गये अभ्यर्थियों की सूची विभागीय वेबसाईट में जारी की जा रही है, जिनके मूल दस्तावेजों का परीक्षण **दिनांक 18.07.2022 को राज्य कार्यालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़, सेक्टर–27, नवा रायपुर, अटल नगर** में आयोजित किया जा रहा है।

दस्तावेज परीक्षण हेतु दिशा–निर्देश :–

01. अभ्यर्थी को दस्तावेजों की जाँच के लिये पंजीयन हेतु समय–प्रातः 10:00 से 11:00 बजे तक राज्य कार्यालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़, सेक्टर–27, नवा रायपुर, अटल नगर में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
02. पंजीयन उपरांत अभ्यर्थियों का दस्तावेज परीक्षण किया जावेगा जिसमें अभ्यर्थी को निम्नांकित मूल दस्तावेजों के साथ एक सेट छायाप्रति स्वप्रमाणित कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :–
    - स्टॉफ नर्स–NBSU हेतु आवेदित ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रति।
    - 10 वीं परीक्षा की अंकसूची / जन्म प्रमाण पत्र।
    - बी.एस.सी. नर्सिंग / पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग / जी.एन.एम. परीक्षा उत्तीर्ण के समस्त वर्षों की अंकसूची (उत्तीर्ण, पूरक व ATKT की अंकसूची भी साथ लायेंगे)।
    - संबंधित डिग्री सर्टिफिकेट।
    - संबंधित नर्सिंग काउंसिल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
    - शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं के SNCU/NBSU में कार्यरत अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश की प्रति।
    - सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण–पत्र।
    - सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो तो)।

क्रमशः 02

- कोई भी एक पहचान पत्र। (आधार कार्ड/वोटर आई.डी./पेन कार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस आदि जिसमें अभ्यर्थी का नाम, पता, फोटो हो)
- अनुभव प्रमाण–पत्र।
- अनापत्ति प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो तो)।
- वर्तमान का रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो एक नग।
- अन्य संबंधित दस्तावेज (यदि आवश्यक हो तो)।

03. अभ्यर्थी के द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अनुसार उन्हें पात्र किया गया है। अतः भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में अथवा भर्ती के उपरांत भी यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी के द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी असत्य/त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/छुपायी गयी है, तो ऐसी दशा में संबंधित अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जावेगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। इस संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा। इस संबंध में मिशन संचालक का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

04. संबंधित जिले के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु उसी जिले के मूल निवासियों को प्रथम प्राथमिकता दी जावेगी, संबंधित जिले में पात्र अभ्यर्थी नहीं पाये जाने की स्थिति में संबंधित संभाग अंतर्गत अन्य जिलों के पात्र अभ्यर्थियों को नियमानुसार द्वितीय प्राथमिकता दी जावेगी। यदि संबंधित संभाग में भी पात्र अभ्यर्थी नहीं पाये जाते हैं तो रिक्त पदों की पूर्ति छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों से की जावेगी। अर्थात अभ्यर्थियों को अन्य जिले में पदस्थापना दी जा सकती है।

05. अभ्यर्थी दस्तावेज परीक्षण में स्वयं उपस्थित होने में असमर्थ हो तो वे प्रतिनिधि के रूप में अपने संबंधी/रिश्तेदार को दस्तावेज परीक्षण के लिये नामित कर सकते हैं, इस हेतु लिखित आवेदन विभाग को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नामित व्यक्ति को संबंधित अभ्यर्थी का निर्धारित समस्त दस्तावेजों की मूलप्रति एवं छायाप्रति (01 सेट) के साथ दस्तावेज परीक्षण में उपस्थित होना होगा।

06. संबंधित पदस्थापना स्थल में ही अभ्यर्थी को नियमानुसार नियुक्ति आदेश प्रदान किया जायेगा तथा संबंधित स्थल में ही निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। कार्यभार ग्रहण के उपरांत किसी भी स्थिति में पदस्थापना स्थल को परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

07. भर्ती प्रक्रिया के दौरान यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी के द्वारा निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है अथवा किसी प्रकार का दबाव बनाया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जावेगी।

08. किसी भी विवाद की स्थिति में मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

09. **दस्तावेज परीक्षण उपरांत अंतिम पात्र–अपात्र सूची जारी की जावेगी।**

10. दस्तावेज परीक्षण के दौरान अभ्यर्थी को कोविड–19 के समस्त नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। कोविड–19 से संबंधित किसी भी प्रकार के लक्षण दिखायी देने की अवस्था में अभ्यर्थी को दस्तावेज परीक्षण में भाग लेने का अवसर नहीं दिया जावेगा।

क्रमशः 03

11. दस्तावेज परीक्षण के संबंध में जानकारी हेतु अभ्यर्थी कार्यालय के दूरभाष नंबर 07725–2511287 में प्रातः 10:30 बजे से 05:00 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।

(मिशन संचालक द्वारा अनुमोदित)

14/07/2022

संयुक्त संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
छत्तीसगढ़